कोयला मंत्रालय द्वारा अपनाए गए किफायत के उपाय

2000. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा खर्च में कमी करने के लिए अपनाए गए किफायत के उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपायों को अपना कर अब तक कितनी बचत की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यमगौड़ा) : (क) और (ख) मंत्रालय में प्रशासनिक खर्चे (गैर-आयोजना) को न्यूनतम करने के लिए कई मितव्ययी कदम उठाए गए हैं । इन उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) ईंधन उपभोग पर प्रतिबंध ।

(2) स्टाफ कार को पूलिंग किया जाना ।

(3) संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के अधिकारियों की एस.टी.डी. की सुविधाओं को समाप्त करना।

(4) जलपान खर्च में कमी ।

(5) अखबारों/पत्रिकाओं, आदि की खरीद पर प्रतिबंध ।

(6) समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और विदेशी यात्राओं आदि पर प्रतिबन्ध ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 के दौरान संशोधित अनुमानों की 1.85 करोड़ रु. की खर्च की राशि की तुलना में 1.64 करोड़ रु. तक खर्च को सीमित कर दिया गया । उपर्युक्त उपायों को चालू वर्ष में भी लागू किया जा रहा है । (इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 के दौरान (फरवरी, 92 तक) इन उपायों को अंगीकार करके 8.26 करोड़ रु. की बचत की है)

कोल इंडिया लि. के अंतर्गत घाटे में चल रही कोयला खानें

2001. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत वर्तमान में कितनी कोयला खानों में खनन कार्य हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि आधी से अधिक खानों में घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो कितनी खानों में घाटा हो रहा है तथा चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में इन खानों को कितना-कितना घाटा हुआ है;

(घ) इनमें से कितनी खानें पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन खानों के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार यह मानती है कि इन खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र में दे देने से इन्हें घाटे में चलने वाली खानों से मुनाफा कमाने वाली खानों में बदला जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यमगौड़ा) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) इस समय, किसी भी विद्यमान कोयला खान को, जिसमें घाटा उठाने वाली खानें भी शामिल हैं, को निजी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है ।